राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018–19/पार्ट1/ 11707 जयपुर, दिनांकः 31/10/19

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की संबंधित गठित जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति के द्वारा उपयुक्तता की जाँच कराये जाने एवं उनके द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नवत् जिला मुख्यालयों/अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में उनके सम्मुख अंकित स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों को अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास संचालन की सत्र 2019–20 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

अनुदानित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास					
क्र. सं	जिला मुख्यालय /अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता	विशेष विवरण
1	अलवर (जिला)	मेवात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति नगर, पो.नगर जिला भरतपुर, 9694723743	शम्मा खान, सूर्य नगर दिवाकरी, दिल्ली रोड़, अलवर	बालिका/50 बैडैड	स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा चार दीवारी एक माह में बना ली जायें। संबंधित DMWO इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास					
क्र. सं	जिला मुख्यालय /अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता	विशेष विवरण
1	लक्ष्मणगढ़ (ब्लॉक), अलवर	मेवात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति नगर, पो.नगर जिला भरतपुर, 9694723743	अनाज मण्डी के पास, पीएनबी, के पीछे	बालक/50 बैडेड	–
2	कामां (ब्लॉक), भरतपुर	मेवात शिक्षा एवं अल्पसंख्यक समिति भटपुरा बांके पवन कुन्ज कॉलोनी कामां 9694723743	पृथ्वी सिहं सोनी, पवन कुन्ज कॉलोनी कामां	बालक/50 बैडेड	–

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली एवं छात्रावास योजना से संबंधित आदिनांक तक जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पन्न करने होंगेः–

1. चयनित स्वयंसेवी संस्था को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में रूपये 500.00 के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध (MoU) 05 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
2. चयनित स्वयंसेवी संस्था को अनुबंध (MoU) हस्ताक्षरित करने के साथ–साथ ही धरोहर राशि के रूप में रूपये 30,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट/डिमान्ड ड्रॉफ्ट संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से जारी करवाकर उनके कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. चयनित स्वयंसेवी संस्था (प्रथम पक्ष) को राज्य सरकार की स्वीकृत दरों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली के अनुसार संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वितीय पक्ष) से अनुबंध करना आवश्यक होगा और अनुबंध की शर्तों की पालना करने/कराने का उत्तर दायित्व संबंधित दोनो पक्षों का होगा।
4. स्वीकृत अनुदानित छात्रावास में अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश छात्रावास नियमावली/आदेश के तहत जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के आधार पर ही दिया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के पश्चात् अनुमोदित सूची संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्था को कार्यालय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जावे, जिसके आधार पर ही संबंधित संस्था प्रवेशार्थियों को छात्रावास में रख सकेगी।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन विभागीय छात्रावास नियमावली के तहत निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित समय पर प्रारम्भ करने का सम्मिलित दायित्व होगा।
6. चयनित स्वयंसेवी संस्था को विभाग की छात्रावास नियमावली के तहत छात्रावास संचालन से संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में समस्त निर्धारित रिकार्ड का संधारण करना अनिवार्य होगा।
7. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग द्वारा समय–समय पर छात्रावास से संबंधित जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में छात्रावास संचालक संस्था को पालना करनी आवश्यक होगी।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जिन भवनों में सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं है, को एक माह की अवधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाकर विभाग की ओर से प्रदत्त समस्त सुविधाओं को उल्लेखित करेंगे ताकि छात्र/छात्राओं व उनके परिजनों को उन्हे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हो सके।
10. संस्था द्वारा छात्रावास संचालन से पूर्व आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
11. छात्रावास संचालन के दौरान यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से संचालक बीच सत्र में छात्रावास संचालन नही कर पाता है तो नियमानुसार संचालक को एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति पश्चात ही छात्रावास बंद किया जा सकेगा अन्यथा पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्रावास का संचालन संस्था द्वारा किया जावेगा। बीच सत्र में बिना किसी सूचना एवं स्वीकृति के संचालक छात्रावास का संचालन नही करता है तो धरोहर राशि जब्त कर संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

12. विभागीय अधिकारियों अथवा जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रथम बार में संस्था को एक सप्ताह में सुधार हेतु नोटिस दिया जावें, दूसरी बार अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार मासिक देय भुगतान राशि मे से 10 प्रतिशत की पेनेल्टी काटकर संख्या के अनुरूप भुगतान संस्था को किया जायेगा। तीसरी बार अनियमितता पाये जाने पर संस्था से एम.ओ.यू. रद्द कर ब्लैंक लिस्टेड करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जावेंगी।
13. सत्र 2019–20 की अवधि में अनुमोदित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र/धरोहर राशि प्रस्तुत नही किये जाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी किये गये स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त/अप्रभावी समझे जावें।

24.x.19

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018–19/पार्ट1/ 11708-36 जयपुर, दिनांकः 31/10/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर अलवर, भरतपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
9. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय निर्देशों की पालना करते हुये तत्काल छात्रावास संचालित किया जाये तथा छात्रावास शुरू करने की रिपोर्ट तत्काल विभाग को प्रेषित करें।
11. चयनित स्वंयसेवी संस्थां/स्वैच्छिक अभिकरण ------------------ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सूचना सहायक को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

24/x/19

(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक प्रथम